

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 28/2022  
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/32

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज)


अभियुक्त :-

श्री नाथुसिंह पुत्र श्री मोहनसिंहजी  
राजपुरोहित मैसर्स - श्री जोधपुर मिष्ठान  
भण्डार, हॉस्पिटल चौराया, छोटा डूंगरा,  
तहसील कुशलगढ, बांसवाड़ा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011  
निर्णय

दिनांक 30.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा  
दिनांक 26-04-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक  
02-03-2022 को 12.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों को  
जाँच हेतु श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, हॉस्पिटल चौराया, छोटा डूंगरा, तहसील कुशलगढ  
पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री नाथुसिंह पुत्र श्री मोहनसिंहजी राजपुरोहित  
उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर नमकीन (मटर बेसन पाम ऑयल  
में बनी) लगभग 5 किलोग्राम जो आम जनता विक्रय हेतु रखा होना बताया। इसमें  
मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर  
सूचना देते हुए दो किलोग्राम नमकीन (मटर बेसन पाम ऑयल में बनी) साफ व शुद्ध  
स्टील के बगोने में तुलनाकर वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी तथा इनकी कीमत 320 रु.  
विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिरा पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर  
करवाये एवं तारदीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा नमकीन (मटर बेसन पाम ऑयल में  
बनी) को चार साफ सुखे चौड मुह के जार में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक जार में  
40-40 बुंद फॉरमेलिन की डालकर जार के ढक्कन एयर टाईड बन्द किया एवं चारो  
नमूना भागो को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति  
आउटकवर में सील बन्द कर सील गोहर कर जाँच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा  
एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, स्वास्थ  
प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।



न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति.जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/95-96 दिनांक 24-03-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 276 दिनांक 15-03-2022 अनुसार विक्रेता से वारंते नमूना जांच हेतु क्रय किया नमकीन (मटर बेसन पाम ऑयल में बनी) का नमूना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमकीन (मटर बेसन पाम ऑयल में बनी) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 26-04-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।


दिनांक 30.05.2022 को अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/95-96 दिनांक 24-03-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 276 दिनांक 15-03-2022 अनुसार विक्रेता से वारंते नमूना जांच हेतु क्रय किया नमकीन (मटर बेसन पाम ऑयल में बनी) का नमूना अमानक Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैंडर्ड नमकीन (मटर बेसन पाम ऑयल में बनी) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को

दण्ड सिद्ध घोषित किया जाकर श्री नाथुसिंह पुत्र श्री मोहनसिंहजी राजपुरोहित मैसर्स -




  
न्याय निर्णय अधिकारी  
(अति.मि.सा. क्लर्क)  
बॉसवाडा (राज.)

श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, हॉस्पिटल चौराया, छोटा झूण्डा, जिला कुशलगढ, बॉसवाडा को रूपये 20,000/- (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30-05-2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(नरेश चुनकर)  
न्यायनिर्णय अधिकारी  
(जिला सिटी बसवाडा)  
बसवाडा (राज.)